

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक 16/2/18

आज्ञा

स्कूल शिक्षा विभाग की सार्वजनिक-निजी सहभागिता (Public Private Partnership) नीति 2017 के संबंध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों में की गई आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर राज्य सरकार को अनुशंषा किये जाने बाबत एतद्वारा निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया जाता है:-

- |  |         |
|--|---------|
| 1. श्री गुलाब चन्द कटारिया, मा0 मंत्री, गृह विभाग                        | अध्यक्ष |
| 2. श्री राजेन्द्र राठौड, मा0 मंत्री, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य   |
| 3. श्री वासुदेव देवनानी, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा विभाग | सदस्य   |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग होगा तथा इसके सदस्य-सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
3. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
9. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
11. रक्षित पत्रावली।

  
प्रमुख शासन सचिव